भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 526**

**14 दिसंबर, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: किसान संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन**

**526. श्री धर्मपुरी श्रीनिवासः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार ने किसान खेत मजदूर कांग्रेस के धरने की ओर ध्यान दिया है, जिसमें किसानों की समस्याओं नामतः उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, गत चार वर्षों के दौरान किसानों द्वारा आत्महत्या के बढ़ते मामले और उनके ऋण को चुकाने जैसी समस्याओं का समाधान चाहने के लिए संसद मार्ग पर प्रदर्शन किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा कुछ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त नहीं है और इसके अलावा किसानों की उपज की खरीद के लिए कोई समुचित प्रणाली नहीं है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा कृषक समुदाय की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई निर्णय लिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)**

(क) समय-समय पर, कुछ किसान और किसान संगठन विरोध प्रदर्शन, शिकायतें और कृषि फसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में वृद्धि एवं अन्‍य कृषि नीतियों में संशोधन जैसी कुछ मांगे करते रहे हैं, जिसका सरकार ने संज्ञान लिया है।

(ख) 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्‍पादन लागत के डेढ़ गुणा के स्‍तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने सभी अधिसूचित खरीफ, रबी और अन्‍य वाणिज्‍यिक फसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) में वृद्धि की है, ताकि 2018-19 मौसम के लिए उत्‍पादन का लागत कम से कम 50 प्रतिशत लाभ प्राप्‍त हो। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक भी है क्‍योंकि यह उत्‍पादन लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत के स्‍तर पर एमएसपी निर्धारित करने के वादे को पूरा करता है।

मौजूदा व्‍यवस्‍थाओं के अनुसार, उन फसलों की खरीद की जाती है जिसके लिए केंद्रीय एवं राज्‍य की एजेंसियों के माध्‍यम से न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों की घोषणा की जाती है। जहां तक अनाजों/पोषक अनाजों का प्रश्‍न है, कल्‍याणकारी योजनाओं एवं खाद्य सुरक्षा के लिए बफर भंडारण हेतु मुख्‍य रूप से सार्वजनिक वितरण पद्धति (पीडीएस) के तहत वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम एवं विकेंद्रिकृत खरीद पद्धति के माध्‍यम से उनकी खरीददारी की जाती है। सरकार द्वारा घोषित न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर केन्‍द्रीय नोडल एजेन्‍सियों के माध्‍यम से तिलहन, दलहन और कपास की खरीद के लिए सरकार मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) का कार्यान्‍वयन करती है। इस योजना का कार्यान्‍वयन संबंधित राज्‍य सरकार के अनुरोध पर किया जाता है जो खरीदे गये जिन्‍सों को मंडी कर और अन्‍य राज्‍य शुल्‍कों की वसूली से छूट देने पर सहमत होते हैं। मूल्‍य समर्थन योजना का मूलभूत उद्देश्‍य उच्‍चतर निवेश और उत्‍पादन को प्रोत्‍साहित करने की दृष्‍टि से उत्‍पादकों को उनके उत्‍पाद के लिए लाभकारी मूल्‍य उपलब्‍ध कराना और कम मध्‍यस्‍थता लागत के साथ उचित मूल्‍य पर आपूर्ति उपलब्‍ध कराते हुए उपभोक्‍ताओं के हितों की सुरक्षा करना है।

हाल ही में शुरू की गई व्‍यापक योजना ‘‘प्रधानमंत्री अन्‍नदाता आय संरक्षण योजना’’ (पीएम-आशा) में कृषि उत्‍पादन और उत्‍पादकता बढ़ाने के लिए उत्‍पादकों/किसानों को एक लाभकारी और स्‍थिर मूल्‍य स्‍थिति का आश्‍वासन देने के लिए एक व्‍यापक व्‍यवस्‍था का प्रावधान है। इस समग्र योजना में दलहन और तिलहन के लिए मूल्‍य समर्थन योजना (पीएसएस), भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और किसानों को एमएसपी सुनिश्‍चित करने के लिए तिलहन के लिए प्रायोगिक आधार पर निजी खरीद और भंडारण योजना (पीपीएसएस) शामिल है।

(ग): सरकार किसानों के कल्‍याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्‍य की प्राप्‍ति के लिए सरकार ने अपनी नितियों को उत्‍पादन केंद्रित से आय केंद्रित बनाया है। यह एमएसपी नीति जिसके द्वारा किसानों को लाभ के मार्जिन के रूप में कम से कम 50 प्रतिशत सुनिश्‍चित कियागया है, सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों के दौरान किए गए सुधारों की श्रृंखला में एक प्रगतिशील कदम है, क्‍योंकि सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने और उनके कल्‍याण में महत्‍वपूर्ण सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में, सरकार किसानों के लिए अधिक आय के साथ समक्रमण हेतु सुझाए गए उपायों के आधार पर विभिन्‍न योजनाओं का क्रियान्‍वयन कर रही है तथा उनमें संशोधन कर रही हैजिसमें मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड (एसएचसी), गुणवत्‍तापूर्ण बीजों का उत्‍पादन और उपलब्‍धता, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), ई-राष्‍ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) और डेयरी, कुक्‍कुट पालन, मधुमक्‍खी पालन और मत्‍स्‍य पालन जैसे संबद्ध कार्यकलापों को बढ़ावा देना शामिल हैं।

2018-19 के बजट में वर्तमान 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम) के रूप में विकसित करने और उसे अद्यतन करने के आशय की घोषणा की गई है। इस लक्ष्‍य की प्राप्‍ति के लिए 2,000 करोड़ की निधि के साथ एक कृषि-बाजार अवसंरचना निधि का प्रस्‍ताव किया गया है। ये जीआरएएमएस इलेक्‍ट्रानिक रूप से ई-एनएएम से जुडे़ होंगे और उन्‍हें कृषि उत्‍पाद विपणन समिति (एपीएमसी) के विनियमों से छूट प्राप्‍त होगी और ये किसानों के लिए उपभोक्‍ताओं तथा थोक खरीददारों को प्रत्‍यक्ष बिक्री की सुविधा उपलब्‍ध कराएंगे।

\*\*\*\*\*